न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, अटरू जिला बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी:— दिनेश कुमार मीना आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 93/2020 **दायर दिनांक: 06.08.2020**

उनवान

1. हैरिस आयु 74 वर्ष पुत्र बसन्त जाति ईसाई निवासी पिपलोद हाल भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा राज0।

वादी

बनाम

1. एस्ट्रोफिक पुत्र अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी रेल्वे फाटक के पास धान नाडी अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर राज0।
2. आइरिस पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
3. नीलू रोज पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
4. मरसी पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
5. सिलविया पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
6. सोफिया पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
7. वेलिंगटन पुत्र वेल्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
8. स्टीफन पुत्र माईकल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
9. एलनर मारग्रेट पुत्री माईकल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
10. हेरल्ड मार्टिन पुत्र मार्टिन जाति ईसाई निवासी 65 न्यू गोपाल विहार कोटा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
11. मेरी रोज पुत्री मार्टिन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
12. मिथलेश पुत्री मार्टिन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
13. प्रमिला मार्टिन पत्नि स्व0 मार्टिन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
14. अमन पुत्र विकटोरिया जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
15. अंकिता पुत्री विकटोरिया जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
16. रेना पुत्री विकटोरिया जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
17. अनिता पत्नि स्व0 मार्शल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
18. प्रितिका पुत्री मार्सल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
19. महिमा पुत्री मार्सल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:29 IST
Reason: SelfAttested

20. प्रसन्ना पुत्र फेलिक्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

21. पीयूष पुत्र फेलिक्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

22. प्रियंका पुत्री फेलिक्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

23. आभा पत्नि स्व0 फेलिक्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

24. ऐन्जल पुत्र लिलेन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

25. अन्जना पुत्री लिलेन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

26. जोई पुत्री लिलेन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

27. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53. 188 आर.टी.एक्ट

उपस्थिति :–

वादीगणः– विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

आदेश दिनाकः 22/07/2021

पत्रावली पेश हुई, वकील उभय पक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि वादीगण ने यह दावा अन्तर्गत धारा 53 ,188 आर.टी.एक्ट का इस आशय का पेश किया है कि वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू जिला बारां राज0 में वादी एवं प्रतिवादी क्रम 1 लगायत 26 के शामलाती खाते की आराजी खाता संख्या 361 का ख0नं0 190 का रकबा 1.69 है0, ख0नं0 206/1040 का रकबा 0.12 है0, खं नं. 216 का रकबा 1.61 है0, ख0नं0 217 का रकबा 1.76 है0, ख0नं0 227 का रकबा 0.66 है0, खं नं. 231 का रकबा 2.83 है0, ख0नं0 281 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 282 का रकबा 3.00 है0, खं0 न0. 282/963 का रकबा 1.58 है0, ख0नं0 351/966 का रकबा 0.05 है0, ख0नं0 358 का रकबा 0.10 है0, खं नं. 310/1073 का रकबा 0.10 है0, ख0नं0 571 का रकबा 0.02 है0, ख0नं0 573 का रकबा 0.08 है0, खं नं. 574 का रकबा 0.12 है0, ख0नं0 57[illegible] का [illegible]बा 0.26 है0, ख0नं0 877 का रकबा 0.29 है0, कुल किता 17 का कुल रकबा 14.32 है0 [illegible] स्थित चली आ रही है। इसी प्रकार वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू के खा[illegible] संख्या 381 ख0नं0 286 का रकबा 0.46 है0, खं नं. 351 का रकबा 2.03 है0, ख0नं0 352 का रकबा 1.07 है0, ख0 नं0 356 का रकबा 0.14 है0, खं नं. 359 का रकबा 0.14 है0, ख0नं0 577 का रकबा 0.40 है0, ख0नं0 कुल किता 6

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:29 IST
Reason: SelfAttested

का कुल रकबा 4.23 है0 आराजी स्थित दर्ज खाता चली आ रही है। वाद पत्र के साथ नकल जमाबन्दी खाता संख्या 361 व 381 संवत् 2073 से 2076 पेश है जो काबिल गौर है।

वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 361 व 381 में वादी का हिस्सा 1/8 दर्ज है जिस पर वादी का कब्जा चला आ रहा है। हिस्से अनुसार आपसी विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार के मध्य अर्सा आज से 15–20 वर्ष पूर्व हो चुका है और उसके मुताबिक वादी के हिस्से में ख0नं0 286 का रकबा 0.46 है0, ख0नं0 351 का रकबा 0.06 है0 दिशा पश्चिम का एवं ख0नं0 282 का रकबा 1.79 है0 पश्चिम दिशा का कुल किता 3 का कुल रकबा 2.31 है0 भूमि हिस्से में आयी थी। जिस पर वादी अपने हिस्से की आराजी पर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त करता चला आ रहा है। लेकिन आराजी शामलाती खाते दर्ज चली आने की वजह से वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हर वर्ष आपस में भूमि काश्त को लेकर वाद विवाद होते रहते है तथा वादी को अपने हिस्से की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने, भूमि सुधार करने, कृषि ऋण प्राप्त करने तथा राज लगान अदा करने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। इस वजह से वादी वाद पत्र की मद नं. 1 में वर्णित आराजी का विभाजन करवाकर पृथक से अपने कब्जे काश्त में चली आ रही है आराजी ख0नं0 286 का रकबा 0.46 है0, ख0नं0 351 का रकबा 0.06 है0 पश्चिम दिशा का एवं ख0नं0 282 का रकबा 1. 79 है0 पश्चिम दिशा कुल किता 3 का कुल रकबा 2.31 है0 भूमि को पृथक से अपने नाम राजस्व रिकार्ड में खाता दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। वादी द्वारा दिनांक 10/06/2020 को प्रतिवादीगण से तहसील अटरू कार्यालय में चलकर खाता अलग करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादीगण ने वाद पत्र के मद नं. 1 में वर्णित आराजीयात का विभाजन करवाने से इन्कार कर दिया। इस वजह से यह वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। बिना सहायता न्यायालय आराजी में विभाजन करवाया जाना सम्भव नही है। अगर वैधानिक तौर पर विभाजन नही हुआ तो वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य भूमि काश्त को लेकर वाद विवाद उत्पन्न होगें तथा वादी अपने हिस्से एवं कब्जे काश्त की आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त नही कर पायेगा तथा कृषि विकास ऋण प्राप्त नही कर सकेगा तथा अपने हिस्से की भूमि में सुधार नही करवा सकेगा जिसके फलस्वरूप वादी को प्राप्त अधिकारों से वंचित होना पडेगा। जिससे वादी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति बाद में अन्य प्रकार से होना सम्भव नही हैं तथा वादी को अनेकोनेक वाद विवादों में उलझना पडेगा। अतः वादी वाद पत्र के मद नं0 1 में वर्णित खाता संख्या 361, 381 वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में स्थित आराजीयात में कब्जे

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:29 IST
Reason: SelfAttested

काश्त का ध्यान रखते हुये विभाजन करवा पाने का अधिकारी है तथा वादी के पूर्व में हुए विभाजन के मुताबिक वादी के कब्जे काश्त में चली आ रही आराजी ख.नं. 286 का रकबा 0.46 है0, ख0नं0 351 का रकबा 0.06 है0 पश्चिम दिशा का एवं ख0नं0 282 का रकबा 1.79 है0 पश्चिम दिशा का कुल किता 3 का कुल रकबा 2.31 है0, भूमि को पृथक से अपने नाम राजस्व रिकॉर्ड में खाता दर्ज करवा पाने का अधिकारी है तथा वादी प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवा पाने का अधिकारी है कि वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त में चली आ रही आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 10.06. 2020 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से तहसील कार्यालय में चलकर विभाजन कराने का निवेदन करने पर तथा अन्तिम बार दिनांक 30.06.2020 को विभाजन को लेकर लडाई झगडा करने पर आमादा होने पर माननीय न्यायाल के सीमा क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। विवादग्रस्त आराजी ग्राम एवं माल पिपलोद तह0 अटरू जिला बारां में स्थित होने से माननीय न्यायालय को इस वाद को सुनने का क्षैत्राधिकार प्राप्त है। राजस्थान सरकार भूमिधारी है तथा वाद विभाजन का होने की वजह से उक्त वाद में राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब अटरू को इस वाद में आवश्यक पक्षकार प्रतिवादी कम 27 बनाया गया है। वाद राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के तृतीय परिशिष्ठ के मुताबिक उचित न्याय शुल्क पर दावा हाजा पेश है। वाद अवधि मध्य एवं उचित न्याय शुल्क पर पेश है जो माननीय न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य है।

अतः माननीय न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन करता है कि निम्न आशय की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जावें कि :–

(अ) वाद पत्र की मद नं0 1 में वर्णित आराजी खाता संख्या 361 व 381 वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में स्थित आराजी पूर्व में हुये विभाजन के मुताबिक ख0नं0 286 का रकबा 0.46 है0, ख0नं0 351 की 0. 06 है0 दिशा पश्चिम की, ख0नं0 282 का रकबा 1.79 है0 पश्चिम दिशा कुल किता 3 का कुल रकबा 2.31 है0 को पृथक से वादी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खाता दर्ज कर [illegible] पृथक से खाते दर्ज की जावे ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:29 IST
Reason: SelfAttested

(ब) प्रतिवादीगण को जर्ये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे वादी को उसके हिस्से व कब्जे काश्त में चली आ रही आराजी को शान्तिपूर्वक काश्त करने देवे जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान न तो स्वयं उत्पन्न करें न अपने प्रतिनिधियों से करावे।

(स) अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे वादीगण को प्रदान की जावें।

रिपोर्ट ली जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया तथा प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की गई। प्रतिवादीगण क्रम 3, 7, 8 व 13 लगायत 19 EPC आदेश 5 के अनुसार बावजूद सूचना उपस्थित नही होने कारण उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई। इसी प्रकार प्रतिवादीगण क्रम 1, 2, 4 लगायत 6 तथा 9 लगायत 12 व 20 लगायत 26 के बाहर निवासरत होने से सम्मन तामील नही हो पाये। अतः इनको अखबार साया के माध्यम से सूचना दी गई लेकिन बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध भी एक तरफा कार्यवाही की गई। प्रतिवादी क्रम 27 द्वारा जवाब दावा पेश न करने के कारण जवाब दावा बंद किया गया।

अभिभाषक वादी की एकतरफा बहस सुनी गई। अभिभाषक वादी द्वारा संशोधित वाद पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहराया गया और निवेदन किया गया कि ग्राम पिपलोद में खाता संख्या 361 का ख0नं0 190, ख0नं0 206/1040, खं नं. 216, ख0नं0 217, ख0नं0 227, खं नं. 231, ख0नं0 281, ख0नं0 282, खं0 न0. 282/963, ख0नं0 351/966, ख0नं0 358, खं नं. 360/1073, ख0नं0 571, ख0नं0 573, खं नं. 574, ख0नं0 575, ख0नं0 877, कुल किता 17 कुल रकबा 14.32 है0 भूमि में वादी का 1/8 हिस्सा व हक अर्थात 1.79 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू के खाता संख्या 381 ख0नं0 286, खं नं. 351, ख0नं0 352, ख0 नं0 356, खं नं. 359, ख0नं0 577, कुल किता 6 कुल रकबा 4.23 है0 में वादी का 1/8 हिस्सा अर्थात 0.52 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। करीब 15–20 वर्ष पूर्व सभी सहखातेदारों वादी व प्रतिवादीगण के मध्य मौखिक रूप से आपसी सहमति से पारिवारिक बंटवारा हो चुका है और उक्त पारिवारिक समझौते अनुसार ही वादी ख0नं0 282 रकबा 3 है0 मे से पश्चिम दिशा में 1.79 है0 भूमि, ख0नं0 286 रकबा 0.46 है0 के सम्पूर्ण भाग पर तथा ख0नं0 351 रकबा 0.10 है0 के 0.6 है पर कुल किता 3 कुल रकबा 2.31 है0 भूमि पर काश्त करता आ रहा है। लेकिन उक्त बंटवारे का राजस्व रिकार्ड [illegible] नहीं हो पाया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:29 IST
Reason: SelfAttested

पत्रावली का अवलोकन [illegible] के साथ संलग्न जमाबन्दी संवत् 2073–76 प्रदर्श 1 व 2 के आधार पर ग्राम [illegible] खाता संख्या 361 व 381 के कुल किता 23 कुल रकबा 18.55 है0 (14-32 +4.23) भूमि मे वादी का 1/8 हिस्सा अर्थात 2.31 है0 भूमि दर्ज रिकार्ड है। विवादित आराजी के आपसी सहमति से हुऐ मौखिक पारिवारिक बंटवारे के

समर्थन में वादी द्वारा साक्ष्य वादी pw1 से pw3 के शपथ पूर्वक बयान कराये गये। साक्ष्यवादीगण के अनुसार खाता संख्या 361 के ख0नं0 282 के पश्चिम भाग के 1.79 है0 भूमि तथा खाता संख्या 381 के ख0नं0 286 के संपूर्ण भाग (0.46 है0) पर वादी का शांतिपूर्वक कब्जा काश्त रहा है।

जमाबन्दी संवत् 2073–76 प्रदर्श 1 व 2 सहखातेदारों के मध्य सहमति से हुए मौखिक पारिवारिक बंटवारे, साक्ष्यवादी के बयानों, अभिभाषक वादी की बहस तथा प्रतिवादीगण के बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही होन आदि आधार पर वादी का वाद स्वीकार करने योग्य है।

–::क्रियात्मक आदेश::–

उपरोक्त विवेचन व विश्लेषण के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम पिपलोद खाता संख्या 361 की किता 17 रकबा 14.32 है0 में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी ग्राम पिपलोद खाता संख्या 381 की किता 06 रकबा 4.23 है0 भूमि में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 दर्ज है। खाता संख्या 361 व 381 वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में स्थित आराजी पूर्व में हुये विभाजन के मुताबिक ख0नं0 286 का रकबा 0.46 है0, ख0नं0 351 की 0.06 है0 दिशा पश्चिम की, ख0नं0 282 का रकबा 1.79 है0 पश्चिम दिशा कुल किता 3 का कुल रकबा 2.31 है0 भूमि को पृथक से वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें। डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:29 IST
Reason: SelfAttested

(दिनेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां

डिक्री मुकदमा इब्तदाई
(ओ0 20 रूल 7 जाप्ता दीवानी)
<u>आज अदालत उप खण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0)</u>
बइजलास. श्री दिनेश कुमार मीना (R.A.S.) उपखण्ड अधिकारी अटरू जिला बारां (राज0.)

प्रकरण सं0 93/2020

उनवान

1. हैरिस आयु 74 वर्ष पुत्र बसन्त जाति ईसाई निवासी पिपलोद हाल भीलवाडा तहसील भीलवाडा जिला भीलवाडा राज0।

वादी

बनाम

1. एस्ट्रोफिक पुत्र अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी रेल्वे फाटक के पास धान नाडी अजमेर तहसील अजमेर जिला अजमेर राज0।
2. आइरिस पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
3. नीलू रोज पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
4. मरसी पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
5. सिलविया पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
6. सोफिया पुत्री अल्बर्ट जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
7. वेलिंगटन पुत्र वेल्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
8. स्टीफन पुत्र माईकल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
9. एलनर मारग्रेट पुत्री माईकल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
10. हेरल्ड मार्टिन पुत्र मार्टिन जाति ईसाई निवासी 65 न्यू गोपाल विहार कोटा तहसील लाडपुरा कोटा जिला कोटा राज0।
11. मेरी रोज पुत्री मार्टिन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
12. मिथलेश पुत्री मार्टिन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
13. प्रमिला मार्टिन पत्नि स्व0 मार्टिन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
14. अमन पुत्र विकटोरिया जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
15. अंकिता पुत्री विकटोरिया जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
16. रेना पुत्री विकटोरिया जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
17. अनिता पत्नि स्व0 मार्शल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
18. प्रितिका पुत्री मार्सल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
19. महिमा पुत्री मार्सल जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
20. प्रसन्ना पुत्र फेलिक्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
21. पीयूष पुत्र फेलिक्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।
22. प्रियंका पुत्री फेलिक्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:29 IST
Reason: SelfAttested

23. आभा पत्नि स्व0 फेलिक्स जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

24. ऐन्जल पुत्र लिलेन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

25. अन्जना पुत्री लिलेन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

26. जोई पुत्री लिलेन जाति ईसाई निवासी पिपलोद तहसील अटरू।

27. राजस्थान सरकार जर्ये श्रीमान तहसीलदार साहब, तह0 अटरू जिला बारां राज0।

प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 53. 188 आर.टी.एक्ट</u>

उपस्थिति :—

वादीगणः— विद्वान अभिभाषक श्री भगवान स्वरूप मंगल।

मिनजानित मुदई रूबरू ....X..

मिनजाबिन मुदालयह हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती विवादित आराजी ग्राम पिपलोद खाता संख्या 361 की किता 17 रकबा 14.32 है0 में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 दर्ज है। इसी प्रकार जमाबंदी ग्राम पिपलोद खाता संख्या 381 की किता 06 रकबा 4.23 है0 भूमि में वादी का नाम सहखातेदार के रूप में दर्ज है। जिसमें वादी का हिस्सा 1/8 दर्ज है। खाता संख्या 361 व 381 वाके ग्राम एवं माल पिपलोद तहसील अटरू में स्थित आराजी पूर्व में हुये विभाजन के मुताबिक ख0नं0 286 का रकबा 0.46 है0, ख0 नं0 351 की 0.06 है0 दिशा पश्चिम की, ख0नं0 282 का रकबा 1.79 है0 पश्चिम दिशा कुल किता 3 का कुल रकबा 2.31 है0 भूमि को पृथक से वादी के खाते दर्ज किये जाने के आदेश किये जाते है।

तहसीलदार अटरू उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करें।

(दिनेश कुमार मीना)
उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

निज ....X...................... मुबालिक ....X............... बाबत् खर्चा इस मुकदमें के सूद बशारह ......X......................... ....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....X.......................... अदा करूंगा।
मैरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से आज दिनांक 22.07.2021 को जारी किया गया।

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)

मुदई		**मुदालयह**	
स्टाम्प अर्जी दावा	खर्चा गवाहान	अर्जी दावा	फीस कमिश्नर
स्टाम्प वकालत नाम	फीस कमिश्नर	स्टाम्प अर्जी	बाबत् इजराय हुकमनाम
स्टाम्प वजह सबूत	बाबत् इजराय हुकमनाम	महन्ताना वकील	मुत0
महन्ताना वकील	मुत0	खर्चा गवाहान	
मिजान			मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2021.08.04 13:25:29 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्ड अधिकारी
अटरू जिला बारां (राज0)